46

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला - रीवा

(म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

2रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

II/निग0/रीवा/2017/4964 Rs.30/-

1- विजय शंकर द्विवेदी,
2- जय शंकर द्विवेदी,
3- प्रफुल्ल चन्द्र द्विवेदी,

तीनों के पिता स्व0 जगदीश प्रसाद द्विवेदी, नि0 ग्राम तेदुआ, बैलान, तहसील हनुमना, जिला - रीवा म0प्र0 --- निगरानीकतागण

अधि0 श्री देवेन्द्र दुबे द्वारा पेश/8.12.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1- कृपाशंकर तनय इन्द्रमणि प्रसाद द्विवेदी,
2- रामाश्रय तनय मेवालाल द्विवेदी,
3- मु0 कतसिया वेवा राम प्रसाद ब्रा0

1 ता 4 निवासी ग्राम तेदुआ बैलान, तह0 हनुमना, जिला- रीवा म0प्र0

4- इन्द्रमणि प्रसाद वर्मा पिता रामगरीब वर्मा,

5- अरुणा द्विवेदी पत्नी ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद द्विवेदी, नि0 ग्राम दुवगवा, दुबान, तह0 मउगंज, जिला - रीवा म0प्र0

6- श्रीमती मंजू मिश्रा पत्नी श्री अंजनी प्रसाद मिश्रा पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद द्विवेदी, नि0 ग्राम पन्नी, तह0 मउगंज, जिला - रीवा म0प्र0

---------- गैर निगराकारगण

अनुविभागीय अधिकारी तह0 हनुमना, जिला रीवा द्वारा प्र0क्र0 15ए/27 16-17 में पारित आदेश दिनांक 10-11-17 के विरुद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यह कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना का आदेश दि0 10-11-17 उचित आदेश न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4964

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण कमांक 15 अ 27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 10–11–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि स्वर्गीय जगदीश प्रसाद द्विवेदी ने नायव तहसीलदार वृत्त पहाड़ी के प्रकरण कमांक 6 अ 27/09–10 में पारित आदेश दिनांक 15–6–16 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष अपील प्रस्तुत की।। अपील प्रचलित रहने के दौरान 10–2–17 को अपीलांट जगदीश प्रसाद का स्वर्गवास हो गया। मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये सिविल प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन 14–9–17 को प्रस्तुत किया गया, जिसे अवधिवाह्य पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 10.11.17 से अपील उपसमित होना मानकर प्रकंरण समाप्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन के दौरान अपीलकर्ता जगदीश प्रसाद की दिनांक 10–2–17 को मृत्यु हुई है जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन 14–9–17 को प्रस्तुत हुआ है। जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया है कि अपीलांट अंचलीय क्षेत्र के वासिन्दा है और स्वर्गीवासी जगदीश के वारिसान को ग्रामीण होने एंव अधिक पढ़े लिखे न होने से इस कानून की जानकारी	

नहीं थी कि 90 दिवस के भीतर ही मृतक के वारिसान को रिकार्ड लाया जाना अनिवार्य है । जहां तक अभिभाषक व्दारा उन्हें इस आशय की सूचना समय पर न देने का प्रश्न है? अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दंडित नहीं करना चाहिये , जिसके कारण सात माह के विलम्ब में से तीन माह घटाने पर केवल 4 माह का विलम्ब अनुचित विलम्ब की श्रेणी में उक्त कारणों से मानकर अपीलांट को न्याय से बंचित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी हनुमना व्दारा प्रकरण कमांक 15 अ 27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 10–11–17 मानवीय दृष्टिकोण , उदारता तथा न्यायदान के आदेश की श्रेणी में न होने के कारण निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

अदस्य